न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–100/2015–16

योगेन्द्र कुमार सिंह वगैरह बनाम उपेन्द्र सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/7/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह वाद सम्पतचक अंचल अंतर्गत मौजा चैनपुर, थाना नं0 101, खाता नं0 54, खेसरा नं0 349 रकवा 35डी0 के लिए विपक्षी की कायम जमाबंदी सं0 431 को रद्द करने हेतु लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, पिता यदुनदंन सिंह 2. श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, पिता यदुनदंन सिंह, ग्राम–चैनपुर खुर्द, थाना–गौरीचक, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** उपेन्द्र सिंह, पिता स्व0 राम आशीष सिंह, ग्राम–चैनपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना **आवेदकगण का कहना है कि** (1) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में विशेश्वर महतो वगैरह के नाम से दर्ज है। आपसी बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड चिन्तामन महतो वो राम अवतार महतो, पिता जगधारी महतो को मिला। खतियान में भी बकब्जे चिंतामन महतो वो राम अवतार महतो दर्ज है। (2) पुनः आपसी बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड राम औतार महतो के पुत्र यदुनदंन सिंह को मिला। यदुनदंन सिंह प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0 51 कायम की गयी। (3) यदुनदंन सिंह की वर्ष 1989 में मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र योगेन्द्र कुमार सिंह वो उपेन्द्र सिंह प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0 683 कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रही है। (4) हाल में जानकारी मिली कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 431 विपक्षी के नाम से कायम कर लगान रसीद निर्गत की जा रही है। (5) सूचना के अधिकार के तहत अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा सूचाना दी गयी कि दाखिल खारिज वाद सं0 01/2008–09 के तहत विपक्षी की जमाबंदी सं0 431 कायम है।	

(6) विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 431 को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :

(1) सर्वे खतियान की प्रति

(2) योगेन्द्र कुमार सिंह वो उपेन्द्र कुमार सिंह की जमाबंदी सं0 683 पर निर्गत वर्ष 2012–13 की लगान रसीद

(3) उपेन्द्र सिंह की जमाबंदी सं0 431 पर निर्गत वर्ष 2011–12 की लगान रसीद

(4) यदुनंदन सिंह वल्द राम अवतार सिंह की जमाबंदी सं0 9 पर निर्गत वर्ष 1975–76 की लगान रसीद

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विपक्षी के द्वारा पूर्व में ही सब जज–2, पटना के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 5492/2014 दायर किया जा चुका है, जिसमें आवेदकगण भी पक्षकार है। आवेदकगण के द्वारा उसी भूखण्ड के लिए दिनांक 07.01.2016 को इस न्यायालय में वाद लाया जाना उचित नहीं है।

(2) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, सम्पतचक के कार्यालय में दाखिल खारिज वाद सं0 07/2017–18 लाया गया है, जो लम्बित है।

(3) आवेदकगण एवं विपक्षी एक ही परिवार के वंशज है। प्रश्नगत भूखण्ड आपसी बंटवारा में विपक्षी के पूर्वज को मिला था, जिसकी जमाबंदी विपक्षी के नाम से कायम है।

(4) विपक्षी के द्वारा आवेदकगण के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) स्वत्व वाद सं0 5492/2014 की याचिका

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 07/2017–18 में दिनांक 11.09.2017 को निर्गत नोटिस

(3) उपेन्द्र सिंह की जमाबंदी सं0 431 पर निर्गत वर्ष 2010–11 एवं 2016–17 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड के लिए जब पहले से सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 5492/2014 विचाराधीन है, जिसमें इस वाद के आवेदकगण भी पक्षकार है तो फिर उक्त भूखण्ड के मामले को लेकर राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) आवेदकगण कहते है कि प्रश्नगत भूखण्ड 35डी0 के लिए पूर्व में

उनके पिता नंदनन्दन सिंह की जमाबंदी सं0 51 कायम थी, परन्तु जमाबंदी सं0 51 से संबंधित कोई लगान रसीद दाखिल नहीं की गयी।

(3) अंचलाधिकारी, सम्पतचक की दिनांक 11.09.2017 को निर्गत नोटिस से स्पष्ट है कि आवेदकगण के द्वारा खाता नं0 54 खेसरा नं0 349 रकवा 26डी0 के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, सम्पतचक को आवेदन दिया गया है। यदि आवेदकगण के दावा के अनुसार प्रश्नगत खेसरा सं0 349 के कुल खतियानी रकवा 35डी0 की जमाबंदी पूर्व से उनके नाम से कायम की हो फिर उसी खेसरा के 26डी0 के दाखिल खारिज हेतु आवेदन देने का क्या औचित्य है। अर्थात आवेदकगण का यह दावा गलत है कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व से उनके नाम से कायम है।

सम्यक विचोरापरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदकगण के द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका कि प्रश्नगत खेसरा नं0 349 के 35डी0 की जमाबंदी पूर्व में उनके पिता के नाम से तथा वाद में उनके नाम से कायम थी। साथ ही प्रश्नगत भूखण्ड के स्वत्व को लेकर पहले से सक्षम व्यवहार न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अतः इस परिस्थिति में आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/7/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

20/7/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना